



2026:AHC:57946

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या - 10969/2026

कासिम खान एवं 3 अन्य

..... आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता: धनंजय पुंडीर

विपक्षीगण के अधिवक्ता: जी.ए. (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता) को सुना गया।
2. वर्तमान 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत लंबित शिकायत वाद संख्या 433/2025 (श्रीमती नादिरा बी बनाम उमरान खान एवं अन्य), थाना सिविल लाइंस, जनपद रामपुर की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जो विद्वान अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), एफ.टी.सी., सी.ए.डब्ल्यू., रामपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।
3. तत्काल याचिका विपक्षी संख्या 2 द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने के लिए दायर की गई है। आवेदकगण, विपक्षी संख्या 2 के ससुराल वाले हैं और विपक्षी संख्या 2 का विवाह वर्ष 2024 में संपन्न हुआ था। विपक्षी संख्या 2 ने आवेदकगण के विरुद्ध वर्तमान कार्यवाही दर्ज कराई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण विपक्षी संख्या 2 के ससुराल वाले हैं और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन में की गई प्रार्थना से उनका कोई सरोकार नहीं है। साथ ही, विद्वान मजिस्ट्रेट ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए संज्ञान लिया और आवेदकगण के विरुद्ध समन जारी कर दिया।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत, आवेदन में की गई प्रार्थना और विपक्षी संख्या 2 द्वारा उठाई गई आपत्तियों के परीक्षण की आवश्यकता है, जो (इस स्तर पर) नहीं किया जा सकता। वर्तमान याचिका विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत प्राप्त होने के बाद आवेदकगण को जारी किए गए नोटिस के विरुद्ध दायर की गई है।
6. आवेदकगण के पास विचारण न्यायालय के समक्ष आपत्ति दाखिल करने का उपचार उपलब्ध है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत विपक्षी संख्या 2 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना अपरिपक्व है और आवेदकगण के पास संबंधित न्यायालय के समक्ष आपत्ति दाखिल करने का विकल्प है। यह अधिनियम स्वयं व्यथित पक्ष को राहत पाने के लिए व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने का प्रावधान करता है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने वर्तमान मामले में शिकायत प्राप्त होने के बाद आवेदकगण के विरुद्ध नोटिस जारी किया है।
7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सौरभ कुमार त्रिपाठी बनाम विधि रावल 2025 एससीसी आनलाइन 1158 के मामले में निर्णय दिया है। इसके प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 35 और 36 नीचे उद्धृत हैं:

"35. जब धारा 12(1) के तहत आवेदन के संबंध में सी.आर.पी.सी. की धारा 482 (अब बी.एन.एस.एस. 528) के तहत शक्ति के प्रयोग की बात आती है, तो उच्च न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि डी.वी. एक्ट, 2005 एक कल्याणकारी कानून है जो विशेष रूप से उन महिलाओं को न्याय देने और घरेलू हिंसा के कृत्यों को रोकने के लिए बनाया गया है जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। इसलिए, धारा 12(1) के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय को बहुत धीमा और सतर्क होना चाहिए। हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब मामला स्पष्ट रूप से घोर अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवैधता या कानून की प्रक्रिया के घोर दुरुपयोग का हो। सामान्य तौर पर, उच्च न्यायालय को धारा 12(1) के तहत आवेदन को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत कार्यवाही से निपटते समय 'हस्तक्षेप न करने' का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब तक उच्च न्यायालय डी.वी. एक्ट, 2005 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय संयम नहीं दिखाएंगे, तब तक डी.वी. एक्ट, 2005 को लागू करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।”

”36. हमें यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध धारा 29 के तहत सत्र न्यायालय में अपील का प्रावधान है। इसके विपरीत, सामान्यतः अपराध का संज्ञान लेने वाले आदेश या प्रक्रिया जारी करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील का कोई उपचार उपलब्ध नहीं होता है। यह एक और कारण है कि उच्च न्यायालय को डी.वी. एक्ट, 2005 की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।”

8. संबंधित न्यायालय पक्षों को सुनने के बाद यथासंभव शीघ्रता से निर्णय लेगा और उचित आदेश पारित करेगा।
9. उपरोक्त अवलोकन के साथ, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत यह आवेदन निस्तारित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

19 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।